



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-14012026-269341
CG-RJ-E-14012026-269341

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 175]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 13, 2026/पौष 23, 1947

No. 175]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 13, 2026/PAUSHA 23, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जयपुर, 13 जनवरी, 2026

का.आ. 185(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 क की उप-धारा (1) अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 10 अक्टूबर 2025 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना का.आ 4638 (अ) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को राजस्थान राज्य के जिला चूरू में चूरू सादुलपुर दोहरीकण (57.82 किमी) की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए अर्जित करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20 क की उप-धारा (4) के अधीन स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों राजस्थान पत्रिका में तारीख 27 अक्टूबर 2025 व दैनिक भास्कर में तारीख 15 अक्टूबर 2025 को प्रकाशित किया गया था

और, सक्षम प्राधिकारी के स्तर पर आक्षेप प्राप्त की निर्धारित अवधि के दौरान कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में आक्षेप निस्तारण की स्थिति शून्य रही है।

और सक्षम प्राधिकारी से उक्त अधिनियम की धारा 20 ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को सौंप दी है

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989 व रेलवे (संशोधन) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इसमें उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

यह और कि एक केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20 ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह और घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

राजस्थान राज्य चूरू-सादुलपुर दोहरीकरण की विशेष रेल परियोजना हेतु (राजगढ़ उपखण्ड के लिये) अधिग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

उपखंड / तहसील का नाम / राजगढ़

ज़िला / चूरू

क्र.सं.	गाँव का नाम	सर्वे खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि का प्रकृति	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अवाप्ति की जाने वाली भूमि (क्षेत्रफल हेक्टेयर में)	भू स्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	रतनपुरा	547	निजी	बारानी चतुर्थ	2.5300	0.0600	महेन्द्र पुत्र टीकूराम हिस्सा-पूर्ण जाति जाट निवासी रतनपुरा-खातेदार
कुल क्षेत्रफल					2.5300	0.0600	

[फा. सं. उपरे /मुख्यालय /एस एण्ड सी /443599200 भाग-23]

राजीव श्रीवास्तव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**[North Western Railway (Construction Organization)]****NOTIFICATION**

Jaipur, the 13th January, 2026

S.O. 185(E).— Whereas by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 4638 (E) dated 10th October 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub section (ii) (hereinafter referred to as the said notification), under sub section (i) of section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) and Railway (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance and operation of the Special Railway Project, namely Churu-Sadulpur (57.82km) Doubling project in District Churu in the state of Rajasthan. And, whereas, the substance of the said notification were published in daily local newspapers “Rajasthan Patrika” dated 27 October 2025 and “Danik Bhaskar” dated 15 October 2025 under sub-section (4) of section 20A of the said act;

And, whereas, “During the prescribed period for receipt of objections at the level of the competent authority, no objections were received; consequently, the question of disposal of objections is null and void.”

And, whereas, in pursuance of sub section (1) of section 20 of the said act, the competent authority has submitted its report to the Central Government.

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed here to shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the special Railway Project, namely, Churu-Sadulpur Doubling Project (For Rajgarh sub Division) in the state of Rajasthan

Name of Tehsil: Rajgarh

District: Churu

S. N	Name of the Village	Survey/ Khasra No.	Type of Land	Nature of land	Area (in Hect)	Area to be acquired (in Hect)	Name of Land owner/ interested Person
1	RATANPURA	547	PRIVATE	BARANI CHATURTH	2.5300	0.0600	Mahendra S/o Tikuram, all part, Cast-Jaat, Resident-Ratanpura- Khatedar
Total Area					2.5300	0.0600	

[F. No. NWR/HQ/S&C/ 443599200 Vol- XXIII]

RAJEEV SHRIVASTAVA, Chief Administrative Officer (Const.)